[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 06.02.2020

सा.का.नि. ______(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये नियम 15 फरवरी, 2020 से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् -

"9. नाम का आरक्षण या नाम का परिवर्तन-

नाम के आरक्षण के लिए किए गए आवेदन www.mca.gov.in पर उपलब्ध वेब सर्विस के माध्यम से कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथा-निर्दिष्ट शुल्क के साथ, 15 फरवरी, 2020 से प्रभावी वेब सेवा स्पाइस+ (कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमन करने हेतु सरलीकृत प्ररूप प्लस : आईएनसी-32), का प्रयोग करके किया जाएगा जिसे रजिस्ट्रार, केंद्रीय रजिस्ट्रीकरण केंद्र द्वारा, पंद्रह दिनों के भीतर व्यतिक्रमों को दूर करने के लिए ऐसा वेब प्ररूप पुनःप्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने के पश्चात्, अनुमोदित अथवा निरस्त, जैसा भी मामला हो, किया जा सकता है।"।

3. उक्त नियम में नियम 10, 12 नियम 19 के उप-नियम (1), नियम 38 के उप-नियमों (1), (2), (3), (4), (7) और (9) में जहां कहीं शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक आते हैं, के स्थान पर "प्ररूप संख्या आईएनसी-32 (स्पाइस)" में 15 फरवरी, 2020 से "स्पाइस+ (कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमन करने हेतु सरलीकृत प्ररूप प्लस: आईएनसी-32)" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

4. उक्त नियम में, नियम 38 के मार्जिनल शीर्षक में, 15 फरवरी, 2020 से शब्द, कोष्ठक और अक्षर "इलैक्ट्रोनिक रूप से" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "इलैक्ट्रेनिक रूप से प्लस (स्पाइस+)" रखे जाएंगे।

5. उक्त नियम में, नियम 38क में,

(i) शीर्षक में शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों "और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) रजिस्ट्रीकरण" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर ""और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) रजिस्ट्रीकरण और व्यवसाय कर रजिस्ट्रीकरण और बैंक खाता खोलना" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ii) अक्षर "एजीआईएलई" के स्थान पर अक्षर "एजीआईएलई-प्रो" रखे जाएंगे।

(iii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्.-

"(ग) 15 फरवरी, 2020 से व्यवसाय कर रजिस्ट्रीकरण प्रभावी।
(घ) 15 फरवरी, 2020 से बैंक खाता खोलना प्रभावी।"।

6. उक्त नियम में, अनुलग्नक में, -

(i) प्ररूप "आरयूएन, ई-प्ररूप सं. आईएनसी-32 (स्पाइस), और ई-प्ररूप सं. आईएनसी-35 (एजीआईएलई), के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 4, 7, 8(1), 12, 152 और 153 के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित उन धाराओं के अनुसरण में) प्ररूप सं. आईएनसी-32	**स्पाइस+** (कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमन करने हेतु सरलीकृत प्ररूप+)

भाग-क

1. (क) कंपनी का प्रकार ....
   एलएलपीआईएन ....
   (ख) कंपनी का वर्ग
   (ग) कंपनी का प्रवर्ग ....
   (घ) कंपनी का उप-प्रवर्ग...

2. कंपनी की औद्योगिक गतिविधियों का मुख्य प्रभाग ....
   मुख्य प्रभाग का वर्णन ....

3. प्रस्तावित या अनुमोदित नाम की विशिष्टियां

i.	
ii.	

भाग - ख

II. कंपनी की संरचना

4. क्या संगम अनुच्छेद की परिरक्षास्थापना हुई है o हां o नहीं
   अनुच्छेदों की संख्या, जिन पर परिरक्षास्थापना के उपबंध लागू होंगे ....

ऐसे अनुच्छेदों का विवरण

क्र. सं.	**अनुच्छेद संख्या**	**खंड के परिरक्षास्थापना का संक्षिप्त विवरण**

5. (i)* कंपनी की [] शेयर पूंजी है [] शेयरपूंजी नहीं है

6. *कंपनी की पूंजीगत संरचना

कुल प्राधिकृत शेयर पूंजी (रुपये में).........................

प्राधिकृत शेयर पूंजी	**साम्या**	**अधिमान**	**अवर्गीकृत**
शेयरों की संख्या			
प्रतिशेयर का न्यूनतम मूल्य (रुपये में)			
कुल राशि (रुपये में)			

कुल अभिदत्त शेयर पूंजी (रुपये में).....................................

अभिदत्त शेयरपूंजी	**साम्या**	**अधिमान**
शेयरों की संख्या		
प्रति शेयर का न्यूनतम मूल्य (रुपये में)		
कुल राशि (रुपये में)		

(ii)*सदस्यों की संख्या का ब्यौरा

(क) सदस्यों की अधिकतम संख्या दें	
(ख) प्रस्तावित कर्मचारियों के अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या	
(ग) सदस्यों की संख्या	
(घ) प्रस्तावित कर्मचारियों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या	